भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 819
जिसका उत्तर मंगलवार, 01 मार्च, 2015 को दिया जाना है

**डीजल कारों पर प्रतिबंध**

**819. श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा:**
**प्रो सौगत राय:**
**श्री वी पन्नीरसेलवम:**
**श्री भोला सिंह:**

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बढ़ते हुए प्रदूषण को रोकने के लिए डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कार उद्योग पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या ऑटो विनिर्माताओं/डीलरों ने अपने भंडार को समाप्त करने के लिए और समय की मांग की है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने देश में निवेश पर उक्त प्रतिबंध के प्रभाव का मूल्यांकन कराया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में प्रस्तावित सुधारात्मक कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार वायु प्रदूषण की समस्या का सामना करने वाले अन्य शहरों में भी उक्त प्रतिबंध को विस्तारित करने का है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित इन शहरों में केवल सीएनजी वाहन शुरू करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**
**भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री**
**(श्री जी० एम० सिद्देश्वर)**

**(क):** जी, नहीं। दिल्ली तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में डीजल कारों की बिक्री पर कोई प्रतिबंध नहीं है। तथापि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एम. सी. मेहता बनाम भारत संघ के मामले में 16.12.2015 को पारित अपने आदेश में निदेश दिया है कि एसयूवी तथा 2000 सीसी की क्षमता वाली और डीजल ईंजन का उपयोग करने वाली निजी कारों के पंजीकरण पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 31 मार्च, 2016 तक प्रतिबंध रहेगा। इस आदेश का कार्यान्वयन राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों द्वारा किया जाना है।

**(ख):** भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय को ऑटो विनिर्माताओं/डीलरों से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

**(ग) और (घ):** जी, नहीं। देश में निवेश पर इस प्रतिबंध के प्रभाव को समझना जल्दबाजी होगी।

**(ङ):** जी, नहीं।

*******